



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455]
No. 455]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2006/वैशाख 15, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2006/VAISAKHA 15, 1928

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2006

का.आ. 657(अ).—पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 30 दिसंबर, 2005 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 1844(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2005 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की, जिसमें अधिसूचना अंतर्विष्ट है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, 2 जनवरी, 2006 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पेटेंट नियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पेटेंट नियम, 2003 में (जिहें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 4 के उपनियम (1) में—
(क) खंड (i) में, “धारा 39, 65 और 125 के अधीन कार्यवाहियों से मिन्न” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।
(ख) खंड (ii) का लोप किया जाएगा।
- मूल नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) में, परंतुक का लोप किया जाएगा।

4. मूल नियमों के नियम 7 के उपनियम (2) में—

- (क) खंड (क) में, “नकद” शब्द के पश्चात्, “या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) खंड (ख) में, “फीसों के संदाय के लिए अनुज्ञात समय के भीतर” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ग) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
“(ग) जहां किसी दस्तावेज के संबंध में कोई फीस संदेय है, वहां दस्तावेज के साथ संपूर्ण फीस दी जाएगी”;

5. मूल नियमों के नियम 10 और स्पष्टीकरण में, “तीन मास” शब्दों के स्थान पर क्रमशः, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल नियमों के नियम 12 में—

- (क) उपनियम (1क) और स्पष्टीकरण में, “तीन मास” शब्दों के स्थान पर क्रमशः, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उपनियम (2) में, “तीन मास” शब्दों के स्थान पर, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) उपनियम (3) में, “तीन मास” शब्दों के स्थान पर, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल नियमों के नियम 24 में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
“परंतु वह अवधि, जिसके भीतर नियंत्रक आवेदन को जर्नल में प्रकाशित करेगा, सामान्यतः उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से एक मास या नियम 24क के अधीन प्रकाशन के लिए अनुरोध करने की तारीख से एक मास होगी”;

8. मूल नियम 24ख में—

- (क) उपनियम (1) में—
 - (i) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
“(i) धारा 11ख के अधीन परीक्षा के लिए अनुरोध करने के आवेदन की पूर्विकता की तारीख से या आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से, जो भी पहले हो, अड़तालीस मास के भीतर, प्रलम्प 18 में किया जाएगा”;
 - (ii) खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
“(ii) वह अवधि, जिसके भीतर धारा 11ख की उपधारा (3) के अधीन परीक्षा के लिए अनुरोध किया जाना है, पूर्विकता की तारीख से, यदि लागू हो, अड़तालीस मास या आवेदन फाइल करने की तारीख से अड़तालीस मास होगी”;
 - (iii) खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
“(iii) धारा 11ख की उपधारा (4) के अधीन परीक्षा के लिए अनुरोध पूर्विकता की तारीख से या आवेदन फाइल करने की तारीख से अड़तालीस मास के भीतर या गोपनीयता निर्देश के प्रतिसंहरण की तारीख से छह मास के भीतर, जो भी पहले हो, किया जाएगा”;
 - (iv) खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iv) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन ‘स्पष्टीकरण’ के अनुसार फाइल किए गए आवेदन की परीक्षा के लिए अनुरोध, आवेदन फाइल करने की तारीख से या प्रथम वर्णित आवेदन की पूर्विकता की तारीख से अड्डतालीस मास के भीतर या और आवेदन फाइल करने की तारीख से छह मास के भीतर, जो भी पहले हो, किया जाएगा ;”

(v) खंड (v) में, “जो धारा 11ख के अधीन विनिर्दिष्ट है या” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “जो पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पूर्व धारा 11ख के अधीन विनिर्दिष्ट है या” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(x) उपनियम (2) में,—

(i) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) उन आवेदनों के संबंध में, जिनमें परीक्षा के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, वह अवधि, जिसके भीतर नियंत्रक आवेदन और विनिर्देशों तथा अन्य दस्तावेजों को परीक्षक को निर्दिष्ट करेगा, सामान्यतः इसके प्रकाशन की तारीख से एक मास या परीक्षा के लिए अनुरोध करने की तारीख से एक मास, जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी :

परंतु ऐसा निर्देश उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें उपनियम (i) के अधीन अनुरोध फाइल किया जाता है ।”;

(ii) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) वह अवधि, जिसके भीतर नियंत्रक परीक्षक की रिपोर्ट का निपटारा करेगा, सामान्यता नियंत्रक द्वारा ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से एक मास होगी ।”;

(ग) उपनियम (3) में, “उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को” शब्दों के स्थान पर, “उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को, सामान्यता परीक्षा के लिए अनुरोध किए जाने की तारीख से छह मास या प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, ” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) धारा 21 के अधीन अनुदान के आदेश के लिए किसी आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय, उस तारीख से, जिसको अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए अक्षेपों का प्रथम कथन आवेदक को जारी किया जाता है, बारह मास होगी ।”;

9. मूल नियमों के नियम 26 में, “(1)” कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ।

10. मूल नियमों के अध्याय 6 में, “विरोध की कार्यवाहियां” शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

“पेटेंट के अनुदान संबंधी विरोधी कार्यवाहियां”;

11. मूल नियमों के नियम 55 में,—

(क) (i) पाश्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पाश्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) पेटेंट का विरोध ।”;

(ii) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(1) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन विरोध करने के लिए अन्यावेदन समुचित कार्यालय में फाइल किया जाएगा और उसमें अन्यावेदन के समर्थन में एक कथन और साक्ष्य,

यदि कोई हो, तथा सुनवाई के लिए, यदि ऐसी वांछा की गई हो, अनुरोध भी सम्मिलित होगा ।

(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पेटेंट, धारा 11क के अधीन आवेदन के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

(ख) उपनियम (3) में, “उस प्रभाव की आवेदक को सूचना” शब्द के स्थान पर, “उस प्रभाव की आवेदक को सूचना, ऐसे अभ्यावेदन की प्रति के साथ” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (4) में, “एक मास” शब्दों के स्थान पर, “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे;

12. मूल नियमों के नियम 55क में, “धारा 25 की उपधारा (3)” शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर, “धारा 25 की उपधारा (2)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

13. मूल नियमों के नियम 56 में—

(क) उपनियम (1) में, “विरोध की सूचना” शब्दों के स्थान पर, “नियम 55क के अधीन विरोध की सूचना” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (4) में, “धारा 25 की उपधारा (4)” शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर, “धारा 25 की उपधारा (3)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

14. मूल नियमों के नियम 71 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) वह समय, जिसके भीतर नियंत्रक, रक्षा और परमाणु ऊर्जा के आवेदनों से संबंधित अन्वेषणों के मामलों के सिवाय, उपनियम (1) के अधीन किए गए अनुरोध का निपटारा करेगा, सामान्यता ऐसा अनुरोध फाइल करने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा ।”

15. मूल नियमों के नियम 74 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“74. पेटेंट का प्ररूप :—

(1) पेटेंट ऐसे उपांतरणों सहित, जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में होगा और उसमें नियम 37 के अधीन आवेदन के लिए दी गई संख्या अंकित होगी ।

(2) पेटेंट प्रमाणपत्र, सामान्यता धारा 43 के अधीन पेटेंट अनुदत्त किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर जारी किया जाएगा ।

16. मूल नियमों के नियम 88 में, “मुद्रांकित होने” और “मुद्रांकन” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “अनुदान” शब्द रखा जाएगा ।

17. मूल नियमों के नियम 134 के उपनियम (1) में—

(क) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) कि धारा 8 के अधीन सूचना कब फाइल की गई है ।”

(ख) खंड (ट) में, “राजपत्र” शब्द के स्थान पर, “शासकीय जर्नल” शब्द रखे जाएंगे।

18. मूल नियमों के नियम 138 के उपनियम (1) में, “नियम 24, नियम 55 और नियम 80(1क) में” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “नियम 24ख, नियम 55 के उपनियम (4) और नियम 80 के उपनियम (1क) में” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

19. मूल नियमों की पहली अनुसूची में,—

(क) मद संख्यांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“4. धारा 53(2) और धारा 142(4), नियम 13(6), 4 300 प्रति मास 1200 प्रति मास”;
80(1क) और 130 के अधीन समय के विस्तारण के लिए अनुरोध पर

(ख) मद संख्यांक 12 के संतं भ 2 में, “नियम 23ख” शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, “नियम 24क” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

20. मूल नियमों की दूसरी अनुसूची में,—

(i) प्रस्तुप 1 में,—

(क) पैरा 9 की मद (i) की उपमद (ख) में, “हस्ताक्षर” शब्द के स्थान पर, “आविष्कारक (आविष्कारकों) के हस्ताक्षर” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है;

(ii) प्रस्तुप 4 में, “24ख(4)(ii)” अंकों, अक्षर और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(iii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है;

(iv) प्रस्तुप 7 में, “धारा 25(3)” शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर, “धारा 25(2)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(v) प्रस्तुप 9 में, पैरा 2 में, “पेटेंट संख्यांक के लिए आवेदन” शब्दों के स्थान पर, “पेटेंट आवेदन संख्यांक” शब्द रखे जाएंगे;

(vi) प्रस्तुप 18 में,—

(क) पैरा 1 में, मद (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“(घ) धारा 11क के अधीन आवेदन के प्रकाशन की तारीख 1”;

(ख) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है;

(vii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है;

(viii) प्रस्तुप 25 में,—

(क) आरंभ में आने वाले “कोई फीस नहीं” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“टिप्पण-(क) जो लागू न हो, उसे काट दें;

(ख) फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए 1”;

21. मूल नियमों की तीसरी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“तीसरी अनुसूची

(नियम 74 देखिए)

1374 4/06-2

पेटेंट का प्रस्तुप

भारत सरकार

पेटेंट सं0
 आवेदन सं0
 फाइल करने की तारीख
 पेटेंटी
 आविष्कारक (जहां लागू हो)

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकृति नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 20.... से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदात किया गया है।

अनुदान की तारीख पेटेंट नियंत्रक

(कार्यालय की मुद्रा)

टिप्पण :—इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 20.... को और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी ।

[फा. सं. 14/2/2005-पी.पी.एण्ड सी.]

एम. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण — मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0 का0आ0 493(अ), तारीख 2 मई, 2003 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं0 का0आ0 1418(अ), तारीख 28 दिसंबर 2004 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2006

S.O. 657(E).—WHEREAS a draft of certain rules further to amend the Patents Rules, 2003 was published in exercise of the power conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970) *vide* notification of the Government of India in Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) *vide* Number SO. 1844(E) dated the 30th December, 2005, in Part II section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, (Extraordinary) dated 30th December, 2005 for inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the Notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the Gazette containing the said Notification were made available to the public on 2nd January, 2006;

AND WHEREAS objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely: -

1. (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2006.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4, in sub-rule (1),
(a) in clauses (i), the words and figures "other than under sections 39,65 and 125" shall be omitted.
(b) clause (ii) shall be omitted
3. In rule 6 of the principal rules, in sub-rule (1), the proviso shall be omitted;
4. In rule 7 of the principal rules, in sub-rule (2),-
(a) in clause (a), after the words "paid in cash", the words "or through electronic means" shall be inserted;
(b) in clause (b), the words "within the time allowed for payment of the fees" shall be omitted;
(c) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
" (c) Where a fee is payable in respect of a document, the entire fee shall accompany the document. ";
5. In rule 10 and in the explanation of the principal rules, for the words "three months", the words "six months" shall respectively be substituted;
6. In rule 12 of the principal rules, -
(a) in rule (1A) and in the explanation, for the words "three months", the words "six months" shall respectively be substituted;
(b) in rule (2), for the words "three months", the words "six months" shall be substituted;
(c) in rule (3), for the words "three months", the words "six months" shall be substituted;
7. In rule 24 of the principal rules, the following proviso shall be added, namely:-
" Provided that the period within which the Controller shall publish the application in the Journal shall ordinarily be one month from the date of expiry of said period, or one month from the date of request for publication under rule 24A. ";
8. In rule 24B of the principal rules, -
(a) in sub-rule (1), -
(i) in clause (i), for the words "after the publication of the application but within thirty-six months", the words "within forty-eight months" shall be substituted;
(ii) for clause (ii), following clause shall be substituted, namely:-
" (ii) The period within which the request for examination under sub-section (3) of section 11B to be made shall be forty-eight months from the date of priority, if applicable, or forty-eight months from the date of filing of the application; "
(iii) for clause (iii), following clause shall be substituted, namely:

“(iii) The request for examination under sub-section (4) of section 11B shall be made within forty-eight months from the date of priority or from the date of filing of the application, or within six months from the date of revocation of the secrecy direction, whichever is later;

(iv) for clause (iv), following clause shall be substituted, namely:

“(iv) The request for examination of application as filed according to the ‘Explanation’ under sub-section (3) of section 16 shall be made within forty-eight months from the date of filing of the application or from the date of priority of the first mentioned application or within six months from the date of filing of the further application, whichever is later;

(v) in clause (v) for the words, figures and letter “the period specified under the section 11B or”, the words, figures and letter “the period specified under the section 11B before the commencement of the Patents (Amendment) Act, 2005 or” shall be substituted;

(b) in sub- rule (2),-

(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: -

“(i) The period within which the Controller shall refer the application and specification and other documents to the examiner in respect of the applications where the request for examination has been received shall ordinarily be one month from the date its publication or one month from the date of the request for examination whichever is later:

Provided that such reference shall be made in order in which the request is filed under sub-rule (1),

(ii) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely: -

“(iii) the period within which the Controller shall dispose off the report of the examiner shall ordinarily be one month from the date of the receipt of the such report by the Controller.”;

(c) in sub rule (3), for the words “his authorised agent”, the words “his authorised agent ordinarily within six months from the date of the request for examination or six months from date of publication whichever is later.” shall be substituted;

(d) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely; -

“(4) The time for putting an application in order for grant under section 21 shall be twelve months from the date on which the first statement of objection is issued to the applicant to comply with the requirements.”

9. In rule 26 of the principal rules, the figure and brackets “(1)” shall be omitted;

10. In Chapter VI of the principal rules, for the heading “OPPOSITION PROCEEDINGS”, the following heading shall be substituted, namely: -
“OPPOSITION PROCEEDINGS TO GRANT OF PATENT.”;

11. In rule 55 of the principal rules—
 (a) (i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-
 “(1) Opposition to the patent.”;
 (ii) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
 “(1) Representation for opposition under sub-section (1) of section 25 shall be filed at the appropriate office and shall include a statement and evidence, if any, in support of the representation and a request for hearing if so desired.
 (1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule(1), no patent shall be granted before the expiry of a period of six months from the date of publication of the application under section 11A.”;
 (b) in sub-rule(3), for the word, “effect”, the words, “effect alongwith a copy of such representation” shall be substituted;
 (c) in sub rule (4), for the words “one month” the words “three months.” shall be substituted;

12. In rule 55A of the principal rules, for the words, figures and brackets “sub-section (3) of section 25”, the words, figures and brackets “sub-section (2) of section 25” shall be substituted;

13. In rule 56 of the principal rules, -
 (a) in sub rule (1), for the words “notice of opposition”, the words, figures and letter “notice of opposition under rule 55A” shall be substituted;
 (b) in sub-rule (4), for the words, figures and brackets “sub-section (4) of section 25”, the words, figures and brackets “sub-section (3) of section 25” shall be substituted;

14. In rule 71 of the principal rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 “(2) The time within which the Controller dispose of the request made under sub-rule (1), except in case of inventions relating to defence and atomic energy applications, shall ordinarily be within a period of twenty one days from the date of filing of such request.”;

15. For rule 74 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely; -
 “74. Form of patent:-
 (1) A patent shall be in the form as specified in the Third Schedule with such modifications as the circumstances of each case may require and shall bear the number accorded to the application under rule 37.
 (2) The patent certificate shall ordinarily be issued within seven days from the date of grant of patent under section 43.

16. In rule 88 of the principal rules, the word “sealing”, occurring at both the places, the word “grant”, shall be substituted;

17. In rule 134 of the principal rules, in sub rule (1), -
 (a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
 “(aa) as to when the information under section 8 has been filed.”;
 (b) in clause (k), for the words “Official Gazette”, the words “Official Journal” shall be substituted;

18. In rule 138 of the principal rules, in sub-rule (1), for the words, figures and brackets “in the rules 24,55 and 80(1A)”, the words, figures and brackets “in the rules 24B, sub-rule (4) of rule 55 and sub-rule (1A) of rule 80 shall be substituted;

19. In the THE FIRST SCHEDULE of the principal rules, -

(a) for items number 4 and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

“4. On request for extension of time under sections 53(2) and 142(4), rules 13(6), 80(1A) and 130. 4 300 per month 1,200 per month”;

(b) in item number 12, in column 2, for the word figure and letter “rule 23B”, the word figure and letter “rule 24A” shall be substituted, -

20. In the THE SECOND SCHEDULE of the principal rules,-

(i) in Form 1-

(a) in para 9, in item (i), in sub-item (b) for the word “Signature(s)”, the words “Signature(s) of the inventor(s)” shall be substituted;

(b) after para 10, for the words “The Controller of Patent”, the words “The Controller of Patents” shall be substituted;

(ii) in Form 4, omit words figures and brackets “24B(4)(ii),”

(iii) in Form 5, after Para 4, for the words “The Controller of Patent”, the words “The Controller of Patents” shall be substituted;

(iv) in Form 7, for the words bracket and figure “See sections 25(3)” the words bracket and figure “See section 25(2)” shall be substituted;

(v) in Form 9, in Para 2, for the words “application for Patent No., the words “Patent application No.” shall be substituted;

(vi) in Form 18, -

(a) in Para 1, after item (c), the following item shall be added, namely:

“(d) date of publication of the application under section 11A.....”;

(b) after Para 4, for the words “The Controller of Patent”, the words “The Controller of Patents” shall be substituted;

(vii) in Form 21, in Para 1, for the words “patent No./No.”, the words “Patent No.” shall be substituted;

(viii) in Form 25,

(a) the words "No Fee", occurring in the beginning shall be omitted;

(b) for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-

" Note – (a) Strike out whichever is not applicable
 (b) For fee see first schedule.";

21. For THE THIRD SCHEDULE of the principal rules, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"THE THIRD SCHEDULE
 (Refer rule 74)
FORM OF PATENT
GOVERNMENT OF INDIA

Patent No.....

Application No.....

Date of filing

Patentee.....

Inventor(s) (Where applicable).....

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled.....
 as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the.....day of.....19/20....., in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.

Date of Grant-----

Controller of Patents

(Seal of the Office)

Note. – The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall due on..... day of 20..... and on the same day in every year thereafter.”.

[F. No. 14/2/2005-PP & C]
 N. N. PRASAD, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* Notification number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and subsequently amended *vide* notification No. S.O. 1418(E) dated 28th December, 2004.